

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अकेलगढ़ रावतभाटा रोड, कोटा 324010

फोन (0744)-2473003 फेक्स (0744)-2473033

क्र0: एफ(2)/बोम-30/2018/1404-23

दिनांक: 28.04.2018

प्रो. एन.पी. कौशिक, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / श्री देवेन्द्र भुषण गुप्ता, (आई.ए.एस), अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव (वित्त), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर / श्री खेमराज चौधरी (आई.ए.एस), अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर / श्री डी.एस.यादव, निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, डब्ल्यू-6 रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। श्री सी.डी. प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / डॉ. एस.डी.पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर, एच.ई.ए.एस. विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / प्रो. अनिल के. माथुर, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / प्रो. एच.डी.चारण, प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / डॉ. आभा जैन, कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा / संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग, कोटा / श्री संत कुमार चौधरी "वेद निवास" 141, सुखदेव विहार, मथुरा रोड, नई दिल्ली / श्री रवि जूनिवाल, मानद सचिव, अपेक्स ग्रुप आफ इन्सटीट्यूशन, 4 ख 18 जवाहर नगर, जयपुर / प्रो. एन.के. जोशी, प्रोफेसर, मोदी इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नॉलोजी, दादाबाड़ी, कोटा / प्रो. अखिल रंजन गर्ग, प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर / प्रो. एम.के.श्रीमाली, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष NCDMM, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर / डॉ.ओम प्रकाश शर्मा, निदेशक, पूर्णिमा इंजी. कॉलेज, जयपुर / श्री प्रताप सिंह सिंघवी, माननीय विधायक, छबडा (बारा) 1, सिविल लाईन्स, राज भवन रोड, जयपुर / श्री रामचन्द्र सुनारीवाल, माननीय विधायक, डग (झालवाड) 8/15, विधायक नगर (पूर्व), जयपुर / प्रो. राजीव गुप्ता, प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा। श्रीमती सुहास दत्ता, प्राचार्य, राजकीय महिला पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय, कोटा

विषय : प्रबंध मण्डल की 30 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण अंतिम रूप से प्रेषित करने बाबत।

महोदय,

निर्देशानुसार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की प्रबंध मण्डल की 30वीं बैठक दिनांक 17.04.2018 (मंगलवार) को सम्पन्न हुई थी, के कार्यवाही विवरण आपके अवलोकन एवं सुझावों, यदि कोई हो के लिए आपको इस कार्यालय के पत्रांक 1096-1113 दिनांक: 19.04.2018 द्वारा प्रेषित किये गये थे। उक्त कार्यवाही विवरण, बिन्दु संख्या 30.4 पर प्राप्त सुझाव के अनुरूप आंशिक संशोधन के साथ अंतिम रूप से जारी किये जा रहे हैं।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ. आभा जैन)
कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबंध मण्डल

81 C
28/4/2018

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा



प्रबन्ध मण्डल बैठक

कार्यवाही विवरण

बैठक संख्या	(30वीं) तीसरी
स्थान	कुलपति कक्ष, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
दिनांक	17.04.2018 (मंगलवार)
समय	दोपहर 2.00 बजे

दिनांक 17.04.2018 को कुलपति सचिवालय के सभा कक्ष में आहूत की गई 30वीं प्रबंध मण्डल की बैठक के कार्यवाही विवरण। बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे:-

1. प्रो. एन.पी. कौशिक,
2. प्रो. राजीव गुप्ता
3. श्री एस.एन. शर्मा
4. श्रीमती सुहास दत्ता
5. प्रो. अनिल के माथुर
6. डा. एन.के. जोशी
7. प्रो. एच.डी. चारण
8. श्री संत कुमार चौधरी
9. प्रो. पी.के. शर्मा
10. डा. ओ. पी. शर्मा
11. श्री सी.डी. प्रसाद
12. डा. एस.डी. पुरोहित
13. डा. आभा जैन,
14. श्री आर.एल. परसोया, विशेष आमंत्रित
15. प्रो. धीरेन्द्र माथरु, विशेष आमंत्रित
16. डा. नीरज जैन, विशेष आमंत्रित

निम्नांकित सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके

1. श्री खेमराज चौधरी
2. श्री प्रताप सिंह सिंघवी
3. श्री राम चन्द्र सुनारीवाल
4. प्रो. एम.के. श्रीमाली
5. डा. रवि जूनिवाल
6. प्रो. अखिल रंजन गर्ग

देवी सरस्वती के चित्र पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर बैठक को विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया।

प्र.म. 30.1

प्रबंध मण्डल के नये सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना।

प्रबंध मण्डल के वर्तमान सदस्यों की सूची अनुलग्नक 30.1 पृष्ठ 1-2 अवलोकन हेतु।

संकल्प

अवलोकन किया गया।

प्र.म. 30.2

दिनांक 10.02.2018 को हुई प्रबंध मण्डल की 29वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।

दिनांक 10.02.2018 को हुई प्रबंध मण्डल की 29वीं बैठक के कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों को प्रेषित किये गये थे। (अनुलग्नक 30.2 पृष्ठ संख्या 3-40)

उक्त कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यों के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प

अनुमोदित

प्र.म. 30.3

दिनांक 10.02.2018 को हुई प्रबंध मण्डल की 29वीं बैठक का कार्यपालना प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

कार्यपालना रिपोर्ट माननीय सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु।

Action Taken report of of 29th BoM

BoM 29.1	To welcome new members of BoM and appreciate Contribution made by out-going members.	Seen
BoM 29.2	To consider and approve the minutes of 27 th meeting of BOM held on 11.04.2017 and 28 th Meeting of BOM held on 12.07.2017	approved
BoM 29.3	To consider and approve action taken report on the approved minutes of 27 th meeting of BOM held on 11.04.2017 and 28 th meeting of BOM held on 12.07.2017. A consolidated report on the action taken on resolutions adopted by the Board of Management in its 27 th & 28 th meeting is submitted for perusal and approval as under.	Office Orders issued vide no. 17164-65 dated 05.03.2018 & 17451-53 dated 7.3.18 (Annexure 30.3.1 Page No 41-42)
BoM 29.4	To consider and approve the Minutes of the 24 th Special Academic Council held on 11.7.2017 and 25 th Academic Council held on 01.11.2017	approved
BoM 29.5	अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु 27वीं प्रबंध मण्डल के संकल्प संख्या 27.13 की अनुपालना में बनाई गई समिति द्वारा स्टेटयूट्स तैयार कर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	Office Orders issued vide no. 18697-702 dated 26.03.2018 (Annexure 30.3.2)

		Page No 43)
BoM 29.6	To approve MoU done between Department of Technical Education, GoR and University Departments as a Project	Office Orders issued vide no. 9863-9869 dated 29.03.2018 (Annexure 30.3.3 Page No 44)
BoM 29.7	To approve orders of nomination after due approval of Hon'ble VC of Institute Project Director/ Nodal Officers / Assistant Nodal Officers/ Account Staff / Purchase Staff, various committees for UD TEQIP-III Project as additional assignment to RTU faculty/ staff and to take the UD, TEQIP III Cell staff as hire on contract as per latest TEQIP norms available time to time.	Office Orders issued vide no. 18388-93 dated 21.03.2018 and 9877-9896 dated 29.03.2018 (Annexure 30.3.4 Page No 45-46)
BoM 29.8	To authorize Hon'ble Vice Chancellor for approving the Procurement Plan & Action Plan for UD, TEQIP-III desired by NPIU time to time for submission from UD, RTU Kota and permits UD, RTU Kota to submit the same to NPIU.	Office Orders issued vide no. 9856-9862 dated 29.03.2018 (Annexure 30.3.5 Page No 47)
BoM 29.9	To approve formation of separate Board of Governors for UD, RTU for TEQIP-III purpose, as and when required under TEQIP-III and authorize Hon'ble Vice Chancellor for approving the same.	Office Orders issued vide no. 9870-9876 dated 29.03.2018 (Annexure 30.3.6 Page No 48)
BoM 29.10	To consider the letter of State Government received through Joint Secretary, Technical Education vide letter no. 4(8)T.E./2001/Part dated 09.08.2017 to condone the penalty imposed against Govt. Engineering College, Bikaner.	letter sent to Joint Sec. T.E. Deptt. vide no. 17782-85 dated 12.03.2018 (Annexure 30.3.7 Page No 49)
BoM 29.11	राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की सम्बद्धता/निरीक्षण शुल्क में माफी के संबंध में	letter sent to P.S. to Hon'ble Minister T.E. Deptt. vide no. 17782-85 dated 12.03.2018 & Office Orders issued vide no. 17838-47 dated 12.03.2018 (Annexure 30.3.8 Page No 50-51)
BoM 29.12	जे.आर.एन. राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर के डी-एफिलियेशन (सम्बद्धता रद्द) प्रकरण को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में	Office Orders issued vide no. 1462-66 dated 08.03.2018 (Annexure 30.3.9 Page No 52)
BoM 29.13	विश्वविद्यालय में तकनीकी सहायक को 9, 18 एवं 27 वर्ष चयनित वेतन लाभ स्वीकृत किये जाने पर पदनाम परिवर्तन हेतु प्रस्ताव	Under Process
BoM 29.14	विश्वविद्यालय में सूचना सहायकों की पदोन्नति हेतु प्रस्ताव	Letter sent to Joint Sec. T.E. Deptt. vide no. 18836 dated 27.3.2018 (Annexure 30.3.10 Page No 53-55)

BoM 29.15	विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रीशियन ग्रेड- II के पद से आगामी पद पर पदोन्नति प्रस्ताव	letter sent to Joint Sec. T.E. Deptt. vide no. 18834 dated 27.3.2018 (Annexure 30.3.11 Page No 56-58)
BoM 29.16	विश्वविद्यालय में वेल्डर पद से आगामी पद हेतु पदोन्नति हेतु प्रस्ताव	letter sent to Joint Sec. T.E. Deptt. vide no. 18835 dated 27.3.2018 (Annexure 30.3.12 Page No 59-62)
BoM 29.17	श्री सुरेन्द्र सिंह गोदारा, सहायक आचार्य, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को पूर्व सेवा (रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में साईंटेस्ट/इंजीनियर के पद पर पातेय वेतन का परिवीक्षा काल में स्थिर वेतन दिये जाने का प्रस्ताव	letter sent to Joint Sec. T.E. Deptt. vide no. 18635 dated 24.03.2018 (Annexure 30.3.13 Page No 63-64)
BoM 29.18	संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.4(5) त.शि./2006 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 के क्रम में डॉ. राकेश दुबे, खेल अधिकारी का पदनाम परिवर्तन एवं ए.आई. सी.टी.ई. गजट नोटिफिकेशन दिनांक 05.03.2010 के अनुसार सी.ए. एस के अन्तर्गत चयनित वेतनमान एवं नियमानुसार अन्य परिलाभ देने हेतु अनुमोदनार्थ	letter sent to Joint Sec. T.E. Deptt. vide no. 18562-64 dated 23.03.2018 (Annexure 30.3.14 Page No 65)
BoM 29.19	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), (मेकेनिकल) एवं (इलेक्ट्रीकल), मैनेजर, गेस्ट हाउस के पदों पर सीधी भर्ती हेतु	A Committee has been constituted vide order no. 18949-54 dated 28.3.2017 (Matter Under Process) (Annexure 30.3.15 Page No 66)
BoM 29.20	एजेण्डा-कनिष्ठ सहायक (कनिष्ठ लिपिक) के पदों पर भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के भर्ती सम्बन्धी प्रक्रिया के तदनु रूप किए जाने के सम्बन्ध में	A Committee has been constituted vide order no. 18949-54 dated 28.3.2017 (Matter Under Process) (Annexure 30.3.15 Page No 66)
BoM 29.21	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा परिसर में रिहायशी मकान आवंटन हेतु तैयार विनियम पारित करना। ("The Regulation for allotment of Residential Quarters")	Office Orders issued vide no. 1628-35 dated 31.3.18 (Annexure 30.3.15(i) Page No 66 (i))
BoM 29.22	विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल के बिन्दु संख्या 24.8 द्वारा पूर्व में अनुमोदित विश्वविद्यालय के परिनियमों को जो कि राज्यपाल महोदय के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुके है। विश्वविद्यालय के अधिनियम 2006 की धारा 9 के बिन्दु संख्या 9 के अन्तर्गत 5 अतिरिक्त अधिकारियों की घोषणा तथा उनके कर्तव्य एवं अधिकारों को उपरोक्त परिनियमों में सम्मिलित करने हेतु परिवर्धन प्रस्ताव तथा इन्हीं परिनियमों में उल्लेखित 89वें परिनियम में उल्लेखित डीन विश्वविद्यालय विभाग के द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कर्तव्य एवं अधिकारों के निष्पादन की सूचना	Office Orders issued vide no. 17421-50 dated 07.03.2018 (Annexure 30.3.16 Page No 67)

BoM 29.23	To consider the minutes of the committee constituted vide office order no. RTU-Exam/F(23)/2017-18/13576-82 dated 02.11.2017 for looking into the representations received from candidates for granting mercy chance to admitted batches of B. Arch., B. Tech., B. Tech. (LEEP), BHMCT, MCA and MBA course, who could not complete their degree even after completion of permitted course duration.	Office Orders issued vide no. 20250-68 dated 21.03.2018 (Annexure 30.3.17 Page No 68)
BoM 29.24	विश्वविद्यालय की स्वयं की आय से एयर कंडीशनर्स क्रय किये जाने की स्वीकृति के संबंध में	संकल्प की पालना में 30वीं प्रबंध मण्डल में प्रस्ताव रखा गया है।
BoM 29.25	प्रबंध मण्डल एवं विद्या परिषद की बैठकों की कार्यसूची समुचित दिवसों में माननीय सदस्यों को प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव	Office Orders issued vide no. 17160-63 dated 05.03.2018 (Annexure 30.3.18 Page No 69)
प्र.म.टी. 29.1	मानवीय मूल्यों एवं व्यावसायिक आचार शास्त्र/नीति शास्त्र (Human Value & Professional Ethics) पर आधारित पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 से प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ	Office Orders issued vide no. 1467-71 dated 08.03.2018 (Annexure 30.3.19 Page No 70)
प्र.म.टी. 29.2	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों को QIV ग्रेडिंग प्रदान करने के संबंध में	Office Orders issued vide no. 17113-24 dated 05.03.2018 & 1472-75 dated 08.03.2018 (Annexure 30.3.20 Page No 71-72)
BOM T.29.3	On the directions of Board of Inspection (BOI), all the students admitted in Marwar Engineering College & Research Centre, Jodhpur MECRC) were transferred to other affiliated colleges in Sept. 2015. Mr. Gaja Ram admitted in session 2009-10 and on that time he was studying in 6 th Sem. Civil Engineering but did not reported for transfer during counseling as he joined Indian Air Force (IAF) and posted at Leh, Laddakh & Kargil. Mr. Gaja Ram has requested for continuing the B.Tech. program by transferring him from MECRC, Jodhpur to SLBS Engineering College, Jodhpur, is now been posted at Air Force Station, Jodhpur and submitted No Objection Certificate from IAF for continuing his study. Sh. Gaja Ram Prayed to grant special chance to complete the remaining studies of VII & VIII semester.	Office Orders issued vide no. 1462-65 dated 08.03.2018 (Annexure 30.3.21 Page No 73)
प्र.म. टी. 29.4	आर.पी.ई.टी. 2007 के अधिकारी/कर्मचरियों को भुगतान किये गये मानदेय को नियमित करने संबंधी अनुमोदन बाबत	Office Orders issued vide no. 69-74 dated 3.4.18 & 75-79 (Annexure 30.3.22 Page No 73-74)
प्र.म. टी. 29.5	क्लर्क ग्रेड- द्वितीय की प्रतियोगिता परीक्षा के चयन के तहत एजेन्सी के माध्यम से कंप्यूटर के साथ उपलब्ध करवाये गये कंप्यूटर मशीन विद मेन को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट/शिथिलता एवं निर्धारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अतिरिक्त पूर्णांक के 6 प्रतिशत अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किये जाने बाबत	No action required
प्र.म.टी.आर. 29.1	केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र, आर.टी.यू. कोटा में कार्यालय समय पश्चात् उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कार्यों का सुपरवीजन एवं अन्य	Office order issued vide no. 3227-31

आनुशंगिक कार्यों हेतु वित्त नियंत्रक कार्यालय से नियुक्त कार्मिकों को वित्त समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.11 पर लिये गये निर्णयानुसार मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान करने के संबंध में	dated 13.3.2018 (Annexure 30.3.23 Page No 75)
---	---

संकल्प

29.22 के संकल्प की पालना में जो कार्यालय आदेश जारी हुए थे, की पालना लम्बित है तथा संबंधित समिति को एक माह में अपनी रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।
टी. 29.4 के संकल्प के क्रम में जारी आदेशों की प्रतिलिपि संबंधित आरपीईटीएपी 07/ आरेमकेट 07/आरमेट 07 के समन्वयाकों को भी प्रेषित की जावे।
शेष कार्यवाही विवरण अनुमोदित किये गये।

प्र.म. 30.4

दिनांक 17.03.2018 को सम्पन्न हुई वित्त समिति की 17वीं बैठक के कार्यवाही विवरण पारित करना।

17वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 17.03.2018 को आहुत की गई। उक्त बैठक के कार्यसूची बिन्दुओं में वर्ष 2016-17 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों कुलसचिव/वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक/डीन (अकादमिक अफेयर्स)/डीन फेकल्टी अफेयर्स/डीन (रिसर्च)/चेयरमैन स्पोर्ट्स/चिफ वार्डन से प्राप्त प्रस्तावों पर लिये गये निर्णय प्रबंध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। (अनुलग्नक 30.5 पृष्ठ 76-120 संख्या)

Members are requested to approve the same.

संकल्प

समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त आलोच्य प्रकरण में 11वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक (29.2.2014) के बिन्दु संख्या 11.17 ए पर विश्वविद्यालय के सेन्टर फॉर एनर्जी एण्ड एनवायरमेंट विभाग में एम.टेक./पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों हेतु आदेश संख्या एफ (2)/2/2015/24271-75 दिनांक 10.3.2015 में स्वीकृत दरों के अनुरूप विश्वविद्यालय विभाग के सभी संकायों के बी.टेक./एम.टेक./पी.एच.डी. में प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों के लिए कान्फ्रेंस/सेमिनार/वर्कशाप अथवा शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रस्तावित वित्तय भार को टेक्यूप-3 प्रोजेक्ट से वहन किया जाए एवं टेक्यूप-3 प्रोजेक्ट के समाप्त होने पर व्यय को विश्वविद्यालय निधि से भुगतान किए जाने की अनुशंसा की गई।

17वीं वित्त समिति के संकल्प संख्या 17.8 के संबंध में परीक्षा विभाग के प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से संशोधन के लिए निर्देशित किया गया :-

B. Attestation/Verification of student's record Fee/Charges :

S.No.	Details of Work	Approved by F.C. at 17 th meeting	Proposal approved by BOM
		Proposed Fee (to be effective from 01-04-18)	Approved Fee (to be effective from 01-07-18)

1	Attestation of Document	Rs. 300/- Per document	Rs. 300/- Per document
2	Verification of Student record through Employer/Verifying agency	Rs. 600/- per Candidate per course	Rs. 600/- per Candidate per course

Note: No verification fee will be charged from Govt. Department/Undertakings.

D. Remuneration of Coordinators for Assessment of answer books (Partially equal to Raj Bhawan Approval) :

S. No.	Head	Unit	Approved by F.C. at 17 th meeting	Proposal approved by BOM
			Proposed Remuneration (to be effective from semester 2017-18)	Approved Remuneration (to be effective from Even semester 2017-18)
1	Coordinator	Per Packet	Rs. 25/-	Rs. 25/-
2	One Ministerial Staff	Per Packet	Rs. 9/-	Rs. 9/-
3	One Cycle Sawar/Peon	Per Packet	Rs. 8/-	Rs. 8/-
4	Distribution/Collection of per packet packets to/from the examiner	Per Packet	Rs. 63/-	Rs. 63/-
5	Telephone Charges	Per Packet	Rs. 6/-	Rs. 6/-
6	Incentive for expediting the assessment of answer book	Per Packet	0	0
	Total		Rs. 111/- Per packet	Rs. 111/- Per packet

E. Refreshment for Central Evaluation, Enrollment Forms Checking, Copy View, UM Redressal Committee, Result Declaration Committee, Grievance Redressal Committee and other Committees. (Partially equal to Raj Bhawan approval) :

S.No.	Head	Approved by F.C. at 17 th meeting	Proposal approved by BOM
		Proposed Rate	Approved Rate (with immediate effect)
1	Expenditure towards refreshment	Rs. 30/- Per head per day	Rs. 30/- Per head per day

F. Remuneration for Paper Setter (Partially equal to Raj Bhawan approval) :

S.No.	Name of Examination	Approved by F.C. at 17 th meeting	Proposal approved by BOM
		Proposed Rate (Per Paper) (to be effective from Even semester 2018-19)	Approved Rate (Per Paper) (with immediate effect)
1	B.Tech./B.Arch. (equivalent UG Course)	Rs. 1000/-	Rs. 1000/-
2	M.Tech./MCA/MBA/M.Arch. (equivalent PG Course)	Rs. 1500/-	Rs. 1500/-
3	For Answer Key UG & PG Course (Solution)	Rs. 2000/-	Rs. 2000/-

शेष यथा अनुमोदित किया गया।

विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय के वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2017-18 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

17वीं वित्त समिति की बैठक में बिन्दु संख्या 17.03 पर विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय के वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान एवं वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये उक्त अनुमानों के सारांश का योग निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत किया गया।

S. N.	Particulars	Actual			Sanctioned Budget 2017-18	Actual Upto Jan-18	Revised Estimate 2017-18	Budget Estimate 2018-19
		2014-15	2015-16	2016-17				
1	Income	9208.43	12747.02	10172.48	10842.27	8471.71	9853.05	9356.89
2	Expenses	7381.14	6404.56	6720.83	10837.50	5382.17	8561.51	11605.51*

* Out of budget estimate Rs. 11605.51 lacks, Rs. 600.00 lacks shall be used from surplus fund of university

विशेष टिप्पणी :- विश्वविद्यालय प्रशासन की बैठक दिनांक 20.03.2017 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12(AA) 1(b) के अन्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन किया गया जिसके परिणामस्वरूप आयकर विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक CIT(E)/JPR/ITO(Hqrs.)/2017-18/5535 दिनांक 14.11.2017 से विश्वविद्यालय का पंजीयन नम्बर AAALR0232K/08/2017-18/O-088/12AA जारी किया गया। (पृष्ठ संख्या 110 से 113)

उक्त पंजीयन के पश्चात् आयकर नियमानुसार वर्ष 2017-18 से विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष आयकर रिटर्न फाइल करना तथा प्रति वर्ष अपनी आय का 85 प्रतिशत भाग विश्वविद्यालय के आयगत एवं पूंजीगत व्ययों हेतु खर्च करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में अवशेष राशि (Unspent amount) आयकर के दायरे में होगी, जिस पर निर्धारित दर से आयकर देय होगा। तथापि आयकर नियमों में यह प्रावधान है कि अवशेष राशि (आय का 85 प्रतिशत - वित्तीय वर्ष के वास्तविक आयगत एवं पूंजीगत व्यय) को अगले 5 वर्षों के अन्दर किसी प्रोजेक्ट पर खर्च करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम की धारा 11(5) के अन्तर्गत संचित (accumulated) किया जा सकेगा।

अतएव, माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में सम्भावित अवशेष राशि (आय का 85 प्रतिशत - वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुमानित आयगत एवं पूंजीगत व्यय) के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 11(5) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में निम्नांकित प्रोजेक्ट्स हेतु राशि रु. 1650.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया:-

S. No.	Proposed Projects for accumulation for construction and others under section 11(5) of IT Act, 1961	Amount Rs.
1	Construction of Auditorium & Lawn Tennis & Basketball court, New construction of Ware House,	1500.00 lacks

	Convention Center	
2	Skill Development / Shodh Peeth	150.00 lacks
	Total Rs.	1650.00 lacks

संकल्प : समिति द्वारा बजट प्रावधानों का अवलोकन एवं आवश्यक विचार विमर्श उपरांत वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रस्तावित संशोधित बजट अनुमान में आंशिक संशोधनों एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के यथा प्रस्तावित बजट अनुमान निम्नांकित निर्देशों सहित अनुमोदित किए गये :-

(i) Budget Estimate 2018-19 (Expenditure):

S. No.	Object Code	Budget Head	Proposed BE Amount	Sanctioned BE Amount	(Rs. in lacks) Remarks
1.	41.5	Hiring of Man Power from NICSI	-	12.50	टेबल एजेण्डा क्रमांक वि.स.टी. 17.8 पर लिये गये निर्णय के क्रम में
2	62.5.1	Skill Development	100.00	100.00	एजेण्डा क्रमांक 17.24 पर लिये गये निर्णय के अनुसार शोध पीठ हेतु आवृत्ति खर्चों के पेटे राशि रु. 25.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत किये जाने के क्रम में
	62.5.2	Shodh Peeth	50.00	75.00	

(ii) Revised Estimate 2017-18 (Expenditure):

S. No.	Object Code	Budget Head	Proposed RE Amount	Sanctioned RE Amount	(Rs. in lacks) Remarks
1.	36	Hiring charges of vehicle	50.00	55.00	वास्तविक व्यय/भुगतान के आधार पर
2.	30.4	University fest	15.00	22.00	

- (2) वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों के अन्तर्गत आय से अधिक प्रस्तावित व्ययों को विश्वविद्यालय की गत वर्षों की बचत राशि से वहन किया जायेगा।
- (3) वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के अन्तर्गत प्रस्तावित बजट मद News Letter & Annual Report (Object code 10) के लिए प्रति कुलपति के स्थान पर कुलसचिव बजट उपयोगकर्ता होंगे। इसी प्रकार परीक्षा विभाग हेतु पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत वाहन मद में प्रस्तावित Closed body pickup for Examination Deptt. (Object code 6) हेतु बजट उपयोगकर्ता कुलसचिव के स्थान पर सम्पदा अधिकारी होंगे। साथ ही, Games & Sports Expenses (Object code 30.6) तथा Gym Equipment (Object code 18.8) के बजट उपयोगकर्ता डीन (एफ.ए.) के स्थान पर प्रति कुलपति होंगे।
- (4) विभिन्न Object Codes & Budget Heads में डीन फेकल्टी अफेयर्स को स्वीकृत राशि का NBA National Board of Accreditation के निर्धारित मानदंडों के परिपेक्ष्य में विभिन्न विभागों को माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत औचित्यपूर्ण आवंटन कर वित्त नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे।

- (5) बजट मैनुअल के प्रावधान (बिन्दु संख्या 23.8.3) के अनुसार Outlay के सीमान्तर्गत शीर्षों में निधियों का हस्तान्तरण/पुनर्विनियोजन वित्त नियंत्रक के परामर्श पर माननीय कुलपति द्वारा किया जा सकेगा।
- (6) विशेष परिस्थितियों में Outlay शीर्षों के बाहर स्वीकृति बजट नियंत्रण अधिकारी के रूप में माननीय कुलपति महोदय द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 12(6) में अनुमत की जायेगी जिसे अनुवर्ती वित्त समिति से अनुमोदित कराया जाएगा।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 23(a) में वर्णित प्रावधानों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के संशोधित बजट अनुमान एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान प्रबंध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

संकल्प

अनुमोदित

प्र.म. 30.6

परीक्षा वर्ष 2017 के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उपाधि अनुग्रहित करने के क्रम में।

बी.टेक., बी.आर्क, बी.एच.एम.सी.टी, बी.बी.ए., एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टेक., एम. आर्क एवं पीएच.डी. के वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने 15 फरवरी 2018 तक अपनी संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें विश्वविद्यालय के अष्ठम दीक्षांत समारोह में उपाधि अनुग्रहित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि बी.टेक., बी.आर्क, बी.एच.एम.सी.टी, बी.बी.ए., एम.बी.ए., एम.सी.ए., एम.टेक., एम. आर्क एवं पीएच.डी. के वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने 15 फरवरी 2018 तक अपना पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है, उन्हें उपाधि अनुग्रहीत करने हेतु तथा दीक्षांत समारोह अध्यादेश सं. 10 के अनुरूप उपाधि/डिप्लोमा/स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने की तिथि दर्ज करने के लिए प्रबंध मण्डल के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

साथ ही प्रबंध मण्डल के सदस्यों से अनुरोध है कि दिनांक 15 फरवरी 2018 पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले ऐसे छात्र जिनका डिग्री रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं हो सका है, को डिग्री प्रदान करने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है। अष्ठम दीक्षान्त हेतु पात्र छात्रों की पाठ्यक्रम वार सूची मण्डल के समक्ष उपाधि अनुग्रहित किये जाने हेतु प्रस्तुत है। (अनुलग्नक 30.6 पृष्ठ 121 संख्या)

प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प

26वीं विद्या परिषद की विशेष बैठक दिनांक 17.04.2018 के कार्यवाही विवरण अनुमोदित किये गये। अतः यथा अनुमोदित।

अष्टम दीक्षान्त में कुलाधिपति स्वर्ण पदक व कुलपति स्वर्ण पदक के पात्र छात्रों को प्रदान किये जाने का अनुमोदन।

माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एफ. 1(39)आरबी/2016/7927 दिनांक 28.09.2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया जाना था। यह स्वर्ण पदक रोटेशन के आधार पर प्रत्येक संकाय के लिए दिया जाना निश्चित किया गया।

माननीय राजभवन के निर्देशों की पालना में विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालना रिपोर्ट अपने पत्र संख्या आरटीयू/वीसीएस/एफ (1)5/2016/ दिनांक 29.11.2016 द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। साथ ही रोटेशन रोस्टर भी सूचित किया जा चुका है। उक्त आदेश प्रबंध मण्डल की 28वीं बैठक की कार्यसूची संख्या 28.03 पर अनुमोदित किये गये। साथ ही प्रबंध मण्डल द्वारा कुलाधिपति स्वर्ण पदक बी.टेक. पाठ्यक्रम में अधिकतम अंक लाने वाले छात्र को कुलपति स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने की भी अनुशंसा की गई।

अष्टम दीक्षान्त समारोह में कुलाधिपति व कुलपति स्वर्ण पदक के योग्य अभ्यर्थियों के नाम निम्नानुसार है :

1. कुलाधिपति स्वर्ण पदक - सुश्री नताशा गोयल, एम.सी.ए. वर्ष 2017 86.77 प्रतिशत अंक
2. कुलपति स्वर्ण पदक - श्री गौरव शर्मा बी.टेक. (एयरोनॉटिकल इंजी.) वर्ष 2017 88.42 प्रतिशत अंक

माननीय सदस्यों के समक्ष दोनों स्वर्ण पदक का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

संकल्प

यथा अनुमोदित।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 तैयार कर लिया गया है जो प्रबंध मण्डल के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं। (संलग्न सीडी)

संकल्प

प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन को पुनः अवलोकन कर आवश्यक संशोधन करते हुए माननीय कुलपति महोदय को वार्षिक प्रतिवेदन जारी करने हेतु अधिकृत किया गया।

विश्वविद्यालय की स्वयं की आय से एयर कंडीशनर्स क्रय किये जाने की स्वीकृति के संबंध में (29वीं प्रबंध मण्डल के बिन्दु संख्या 29.24 की पालना)

वित्त विभाग (आय-व्ययक अनुभाग) के परिपत्र दिनांक 30.06.2010 से जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों के बिन्दु संख्या 3(1) में एयर कंडीशनर का क्रय वित्त

विभाग की पूर्वानुमति से ही किये जाने के निर्देश प्रदत्त है तथापि "राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स एवं निकायों में रिक्त पदों पर नियुक्ति, पदों के सृजन एवं क्रमोन्नयन के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य मामलों में यदि अपरिहार्य कारणों से शिथिलता आवश्यक हो तो उस पर संबंधित संचालक मंडल निर्णय ले सकेगा।" (अनुलग्नक 30.9.1 पृष्ठ संख्या 122)

संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प.3(7)त.शि./2007 पार्ट दिनांक 29.05.2017 से कुलसचिव हेतु एयर कंडीशनर विश्वविद्यालय की स्वयं की आय से क्रय किये जाने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2010 के अनुसार प्रबंध मण्डल की बैठक में निर्देश दिये गये। इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति आवश्यक नहीं है। (अनुलग्नक 30.9.2 पृष्ठ संख्या 123)

वर्तमान में विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/शिक्षकों/अधिकारियों इत्यादि हेतु संबंधित कार्यालयध्यक्षों/विभागाध्यक्षों से लगभग 80 एयर कंडीशनर्स की आवश्यकता निर्धारित करने हेतु निम्नानुसार एयर कंडीशनर्स क्रय किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त उपापन GEM के माध्यम से किया जावेगा।

Sr. No.	Name of office	No. of Split ACs	Approx. Amount (Rs.)
1	VC Secretariat	04	46.00 lacks
2	Finance & Accounts	04	
3	Registrar Office	07	
4	Controller of Exam	04	
5	HOD - CSE	19	
6	HOD - Mechanical	29	
7	HOD - Electrical	08	
8	HOD - Electronics	03	
9	Chairman sports	02	
10	Dean (Academics)	04	
11	PTP Department	08	
	Total	92	

प्रस्ताव 29वीं प्रबंध मण्डल के बिन्दु संख्या 29.24 के संकल्प की पालना में माननीय सदस्यों के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संकल्प

उपरोक्त एसी तथा सिविल विभाग के द्वारा प्रस्तुत 8 एसी क्रय प्रस्ताव अर्थात् कुल 100 एसी क्रय हेतु प्रति कुलपति, अध्यक्ष, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, संपदा अधिकारी सदस्य एवं प्रभारी अधिकारी (विद्युत) सदस्य सचिव की समिति उपरोक्त क्रय पूर्व औचित्य निर्धारण करते हुए संशोधित मांग के अनुसार कुलपति महोदय के अनुमोदन के उपरान्त नियमानुसार क्रय कार्यवाही प्रस्तावित करेगी।

प्र.म. 30.10 आर

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 12(6)के अर्तगत जारी आदेश अनुमोदन हेतु।

कार्यालय आदेश संख्या 6760-61 दिनांक 8.9.2017 के अनुसरण में Choice Based Credit System Regulation for Undergraduate (UG) Degree Programme लागू करने के लिए प्रो. एस.सी. जैन को डीन विश्वविद्यालय विभाग के कर्तव्य निर्वहन के लिए अधिकृत करने संबंधी आदेश राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की

धारा 2006 की धारा 12 (6) के अन्तर्गत पारित किये गये जो माननीय सदस्यों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। (अनुलग्नक 30.9 पृष्ठ संख्या 124)

संकल्प

अवलोकन किया गया।

प्र.म. 30.1 टी

राज्य सरकार के पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2018 के क्रम में श्री सुरेन्द्र सिंह गोदारा सहायक प्रोफेसर, एरोनाटिकल इंजीनियरिंग को पूर्व सेवा रक्षा मंत्रालय भारत में साईटिस्ट/ इंजीनियर के पद पर पातेय वेतन को परीक्षाकाल में स्थिर वेतन के रूप में किये जाने पर सहमति बाबत।

संकल्प


अनुमोदित। तदनुसार राज्य सरकार को पुनः प्रेषित किया जावे।

अन्य बिन्दु 30.1

बैठक के उपरान्त प्रबंध मण्डल के सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा या केन्द्रीयकृत प्रवेश एजेंसी जो भी यह कार्य करे वो प्रवेश की तिथि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त तक ही रखे। इस तिथि से पूर्व ही प्रवेश समाप्त करने से विद्यार्थी प्रवेश से वंचित हो जाते हैं। जिससे विधिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अतः इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे तथा प्रवेश प्रक्रिया हेतु वांछित दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण हेतु संबंधित संबद्ध महाविद्यालयों को एक सप्ताह का समय दिया जाने हेतु भी कार्यवाही करवाना भी सुनिश्चित किया जावे।


संकल्प

अनुमोदित



(प्रो. एन.पी. कौशिक)

कुलपति एवं
अध्यक्ष, प्रबंध मण्डल


(डा. आभा जैन)
कुलसचिव एवं
सचिव प्रबंध मण्डल